बांस कटाई के मानक नियम

समस्त उपचार प्रकारों मे बांस कटाई निम्नलिखित नियमों के अधीन की जायेगी।

3.1. कटाई एवं उपचार निष्पादन की विधिः–

बांस कूप के सीमांकन के पश्चात 1:15000 के स्केल पर एक उपचार मानचित्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। यह कार्य परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं उप वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इस उपचार मानचित्र की एक–एक प्रति वनमंडल कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय में संधारित कक्ष इतिहास पत्रावली में लगाई जाएगी। तीसरी प्रति कूप विदोहन पुस्तिका में लगाई जाएगी। इस उपचार मानचित्र में पृष्ठ क्रमांक 4–5 अनुसार तीनों उपचार प्रकार दिखाये जाऐंगे।

3.2 बांस कूपों का सेम्पल प्लाट सर्वेः–

बांस के वार्षिक कूपों से अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु सेम्पल प्लाट सर्वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (कक्ष उत्पादन) के पत्र क्रमांक/उत्पादन/3410 दिनांक 31.07.2009 द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार किया जाएगा। यदि उपरोक्त सर्वेक्षण विधि में कोई संशोधन होता है तो मुख्यालय के नवीनतम निर्देशानुसार सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

3.3 बांस कूपों में कटाई के संबंध में निर्देशः–

3.3.1. बांस की कटाई 15 अक्टूबर के बाद की जाएगी। 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक बांस की कटाई प्रतिबंधित रहेगी। यथासंभव बांस कटाई का कार्य मार्च माह के अंत तक पूरा कर लिया जाना चाहिए

3.3.2. कटाई प्रारंभ करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिएः–

- यथा संभव भिर्रो के परिधि के बांसो को नहीं काटा जायेगा।
- कटाई केन्द्र से शुरू कर परिधि की ओर की जायेगी।

3.3.3. बांस की कटाई का क्रम 4 वर्ष होगा वार्षिक कूप चार खंडो में विभाजित किया जायेगा और खंडो के अनुसार कटाई का कार्य होगा जैसे अग्रिम दूसरे खंड की कटाई की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पहले खंड की कटाई का कार्य पूर्णतः संतोषप्रद रूप से इन नियमों के अनुसार न हो जाय एवं उप वन मंडलाधिकारी द्वारा इसे प्रमाणित न किया जावे।

3.3.4. निकाले जाने वाले बांसो की प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगाः–

- सूखा जला, सड़ा एवं क्षतिग्रस्त बांस।
- जीवित बांसों में से सर्वप्रथम टूटे एवं टेड़े मेड़े बांस।
- इसके उपरांत न्यूनतम छोड़े जाने वाले बांसों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शेष बांसों का पातन नियमानुसार किया जावेगा।

3.3.5. जीवित अपरिपक्व बांस का तना जैसे करला या प्रचलित ऋतु का बांस का तना और महिला या पूर्व ऋतु का बांस तना नहीं काटा जाएगा।

3.3.6. बांस का (Rhixome) राईजोम नहीं खोदा जाएगा।

3.3.7. एसे बांस कुंज जिसमें दसे से कम जीवंत बांस के तने हो जसमें करला और महिला शामिल है नहीं काटे जाएंगे।

3.3.8. (i) जहां बांस के तने काटे जाएंगे वहां भूमि की सतह के ऊपर की ऊचाई 15 से.मी. से कम या 45 से.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी भी दशा में प्रथम गठान (Internode) से कम न हो।

(ii) बांस की कटाई के समय ध्यान रखा जावे कि एक बांस से दूसरे बांस के बीच की अधिकतम दूरी 25 से.मी. होना चाहिए।

3.3.9 तेज धार वाले औजार से काटा जाएगा जिससे कि ठूंठ न बिखरे।

3.3.10. सभी कटे हुए मलबे कुंज से कम से कम एक मीटर दूर हटा दिये जायेंगे।

3.3.11. करला एवं महिला बांस किसी भी दशा में पट्टा बांधने के लिये बंधन नहीं बनाये जायेंगे।

3.3.12. एक भिर्रे में रोके जाने वाले बांस की न्यनतम संख्या स्थल गुणवत्ता वर्ग के आधार पर निम्नानुसार होगी:–

- ❖ प्रथम श्रेणी –20 बांस
- ❖ द्वितीय श्रेणी –15 बांस
- ❖ तृतीय बांस –10 बांस

3.3.13. करला बांस से दुगने संख्या में अन्य बांस रोका जाएगा। जिसमें महिला बांस पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। उदाहरणार्थः– जिस भिर्रे में 5 करला, 6 महिला एवं 9 पकिया हैं, उनमें करला बांस के अलावा, 5x2=10 बांस और रोकना होगा। इसमें 6 महिला पूर्णतः रोका जायेगा। अतः (10-6)=4 और पकिया बांस रोकने के बाद 9-4=5 पकिया बांस काटने हेतु उपलब्ध होगा। कुल रोके गये बांस 15 हैं, साईट क्वालिटी III के न्यूनतम संख्या 10 से अधिक है। द्वितीय स्थिति में यदि करला 4 महिला 5 पकिया है, तो 3 करला के अतिरिक्त 3x2=6 बांस और रोकना है। 4 महिला को रोकने के बाद 6-4=2 पकिया रोका जाना है। अतः 3+6=9 बांस रोकना है 5-2=3 पकिया काटा जा सकता है। परन्तु न्यूनतम संख्या 10 पूर्ण न होने के कारण 9 बांस रोकने के बजाए 10 बांस रोकना है। अतः पकिया 5 में से 2+1=3 रोका जाएगा ताकि रोके गये बांस 10 हो

उदाहरण

यदि उपरोक्त स्थिति में पकिया बांस 5 के स्थान पर मात्र 1 है तो न्यूनतम संख्या 10 को पूरा करने के लिए जीवित बांस ठूंठ यदि उपलब्ध हो तो उसे भी भिर्रो के सहारा के लिये रोका जाएगा।

3.3.14. व्यापारिक उद्देश्य हेतु पृष्ठ क्रमांक 2 के बिन्दु 1.5 में किये गये प्रावधान अनुसार न्यूनतम अथवा इससे कम बांस वाले भिर्रे में पातन नहीं किया जायेगा। केवल टूटे, सूखे, मृत बुरी तरह क्षतिग्रस्त अति परिपक्व बांस ही काटे जायेंगे।

3.3.15 भिर्रो में पातन के समय रोके जाने वाले बांस यथा संभव समुचित अंतराल एवं बाहरी परिधि पर निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में होने चाहिएः–

- ❖ करला बांस
- ❖ महिला बांस
- ❖ तरूण हरे बांस
- ❖ पुराने जीवित बांस
- ❖ बांस के ठूंठ एवं
- ❖ अन्य उपलब्धता अनुसार

3.3.16 जहां भिर्रो की परिधि सीमा आसानी से विदोहन की जा सके वहीं इसे स्वतंत्र भिर्रा माना जाएगा। जहां कहीं ऐसा विभेदन संभव न हो तो एक मीटर की परिधि के अंदर आने वाले भिर्रो को एक भिर्रा माना जायेगा।

3.3.17: बांस वनों में अग्नि सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन किया जावेगा।

3.3.18: पिछले खुले मौसम में कार्य किये गए, बांस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान चराई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.3.14 व्यापारिक उद्देश्य हेतु पृष्ठ कमांक 2 के बिन्दु 1.5 में किये गये प्रावधान अनुसार न्यूनतम अथवा इससे कम बांस वाले भिर्रो में पातन नहीं किया जायेगा। केवल टूटे, सूखे, मृत तरी तरह क्षतिग्रस्त अति परिपक्व बांस ही काटे जायेंगे।

3.3.15 भिर्रो में पातन के समय रोके जाने वाले बांस यथा संभव समुचित अंतराल एवं बाहरी परिधि पर निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में होने चाहिए :–

- ❖ करला बांस
- ❖ महिला बांस
- ❖ तरूण हरे बांस
- ❖ पुराने जीवित बांस
- ❖ बांस के ठूंठ एवं
- ❖ अन्यउपलब्धता अनुसार

3.316 जहॉ भिर्रो की परिधि सीमा आसानी से विभेदित की जा सके वहीं इसे स्वतंत्र भिर्रा माना जाएगा। जहॉ कही ऐसा विभेदन संभव न हो तो एक मीटर की परिधि के अंदर आने वाले भिर्रो को एक भिर्रा माना जायेगा।

3.317 बांस वनों में अग्नि सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन किया जावेगा।

3.318 पिछले खुले मौसम में कार्य किये गए, बांस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान चराई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

—::0::—